न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 481 सन 2019

अनवान :–

1. सुरजीत सिह पुत्र मेहरचंद जाति जाट साकिन गुडिया नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मेहरचंद पि0मु0 अर्जनराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्रसिह पुत्र मेहरचंद जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर
3. अंकुश पुत्र राजाराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता कविता पत्नी स्व राजाराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
4. आरजु पुत्री राजाराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता कविता पत्नी स्व राजाराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
5. कविता पत्नी स्व राजाराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 9/9/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 264/254 के खसरा न0 80/1 की 7.1830हैक व इसी ग्राम के खाता संख्या 80/2 की 7.1710हैक तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 80/80 के प0न0 348/402(14) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.2277 ,6/0.2277 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.253 , 15/0.2277 ,16/1 की 0.1140 ,18 ,19 ,21 ,ता 23 प्रत्येक 0.253 प0न0 348/403(15) किला न0 1/0.253 , प0न0 0 मु0न0 78 के किला न0 4/1 की 0.0890हैक गै0मु0रास्ता कुल 5.6931हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा /पडदादा अर्जनराम पुत्र खिराजराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा अर्जनराम पुत्र खिराजराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा अर्जनराम पुत्र खिराजराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

Scanned with CamScanner

किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता अर्जनराम पुत्र खिराजराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा उसके पुत्र राजाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का वाद भूमि में हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 264/254 के खसरा न0 80/1 की 7.1830हैक्ट व इसी ग्राम के खाता संख्या 80/2 की 7.1710हैक्ट तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 80/80 के प0न0 348/402(14) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.2277 ,6/0.2277 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.253 , 15/0.2277 ,16/1 की 0.1140 ,18 ,19 ,21 ,ता 23 प्रत्येक 0.253 प0न0 348/403(15) किला न0 1/0.253 , प0न0 0 मु0न0 78 के किला न0 4/1 की 0.0890हैक्ट गै0मु0रास्ता कुल 5.6931हैक्ट वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा /पडदादा अर्जनराम पुत्र खिराजराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा अर्जनराम पुत्र खिराजराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा अर्जनराम पुत्र खिराजराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र राजाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 राजाराम के हक हिस्स की भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है पेरोकार राज ने भी किसी प्रकार को एतराज पेश नही किया गया है अतः वादी का वाद आपसी सहमति व साक्ष्यों के आधार पर साबित है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 264/254 के खसरा न0 80/1 की 7.1830हैक्ट व इसी ग्राम के खाता संख्या 80/2 की 7.1710हैक्ट तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 80/80 के प0न0 348/402(14) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.2277 ,6/0.2277 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.253 , 15/0.2277 ,16/1 की 0.1140 ,18 ,19 ,21 ,ता 23 प्रत्येक 0.253 प0न0 348/403(15) किला न0 1/0.253 , प0न0 0 मु0न0 78 के किला न0 4/1 की 0.0890हैक्ट गै0मु0रास्ता कुल 5.6931हैक्ट वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित होता है।

प्रस्तुत पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग/खतौनी बन्दोबस्त /जमाबन्दी सम्वत 2012 के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के पडदादा खिराजराम वल्द बख्तु एवं दादा अर्जनराम वल्द खिराजराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अर्जनराम पुत्र खिराजराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तान से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति

उपखण्डाधिकारी
गोहद

Scanned with CamScanner

में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

मेहरचन्द पुत्र अर्जनराम के वारिसान राजाराम , मेहन्द्रसिह , सुरजीतसिह तीन पुत्र है जिनमें से पुत्र राजाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान उसकी पत्नि कविता एव अकुश एव आरजु तीन है जो प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र से साबित है राजाराम के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वादी , प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वहिव 1/4 हिस्सा पाने के अधिकारी है ।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 264/254 के खसरा न0 80/1 की 7.1830हैक व इसी ग्राम के खसरा न0 80/2 की 7.1710हैक तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 80/80 के प0न0 348/402(14) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.2277 ,6/0.2277 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.253 , 15/0.2277 ,16/1 की 0.1140 ,18 ,19 20,,21 ,ता 23 प्रत्येक 0.253 प0न0 348/403(15) किला न0 1/0.253 , प0न0 0 मु0न0 78 के किला न0 4/1 की 0.0890हैक गै0मु0रास्ता कुल 5.6931हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का वहिव 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर याद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुरजीत सिह पुत्र मेहरचंद जाति जाट साकिन गुडिया नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मेहरचंद पि0मु0 अर्जनराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्रसिह पुत्र मेहरचंद जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर
3. अंकुश पुत्र राजाराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता कविता पत्नी स्व राजाराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
4. आरजु पुत्री राजाराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता कविता पत्नी स्व राजाराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
5. कविता पत्नी स्व राजाराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 481 सन 2019 निर्णय दिनांक– 9/9/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 264/254 के खसरा न0 80/1 की 7.1830हैक व इसी ग्राम के खसरा न0 80/2 की 7.1710हैक तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 80/80 के प0न0 348/402(14) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 ,5/0.2277 ,6/0.2277 ,7 ता 14 प्रत्येक 0.253 , 15/0.2277 ,16/1 की 0.1140 ,18 ,19 20, ,21 ,ता 23 प्रत्येक 0.253 प0न0 348/403(15) किला न0 1/0.253 , प0न0 0 मु0न0 78 के किला न0 4/1 की 0.0890हैक गै0मु0रास्ता कुल 5.6931हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का बहिव 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/09/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner